आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 07/2020–2021

संजय कुमार वनाम् रामलडडू सिंह वगैरह

आदेश

अपीलार्थी संजय कुमार, पिता–राम किशोर शर्मा, ग्राम–कुबड़ी, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल खारीज वाद संख्या–470R27/2018–2019 में दिनांक 28.12.2018 को अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व दायर किया है। अपील दायर करने में हुए विलम्ब पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त वाद की प्रविष्टी की गई। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहदी
182	2025	02 कटटा	उतर–सच्चिता शर्मा दक्षिण–चन्द्रभूषण शर्मा पूरब–हरेराम शर्मा पश्चिम–शम्भु शर्मा

मौजा–केयाल, टोला–कुबड़ी, थाना संख्या–184, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल।

उतरवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उतरवादी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 04.06.2015 को संजू देवी से खरीद किया है जिसपर दखल कब्जा चला आ रहा है।

(2) विवादित भूमि का डिमांड रामलडडू शर्मा के नाम पर चल रहा है।

(3) रामलडडू शर्मा के दो पुत्र हुए कमशः अशोक शर्मा एवं राम सुमिरन शर्मा जो विवादित भूमि के एक तिहाई का हिस्सेदार है।

(4) रामलडडू शर्मा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के न्यायालय में बी० एल० डी० आर० वाद संख्या–127/13–14 लाया गया था जिसमें दिनांक 04.08.2014 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था कि रामलडडू शर्मा, अशोक शर्मा और राम सुमिरन शर्मा बराबर के हिस्सेदार है तथा तीनों को एक तिहाई हिस्सा है। पारित आदेश में विवादित भूमि की तख्ताबंदी करने हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण को प्रतिनियुक्त किया गया था तथा यह निर्देश दिया गया था कि बिकी किये गये भूमि को विकेता के हिस्सा से धटा दे जिसे आज तक तख्ताबंदी नही किया गया और ना ही कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

(5) रामलडडू शर्मा द्वारा काफी जमीन विकी किया जा चुका है।

(6) अवर न्यायाधीश प्रथम वरीय कोटी अरवल के न्यायालय द्वारा बॉटवारा वाद संख्या–249/2013 में पारित आदेश में उल्लेखित किया गया है कि संजू देवी को एक सौ अठासी

डिसमल जमीन बख्शीस किया गया है जो उनके हिस्सा दो एकड़ पचीस डिसमल जमीन वादी का होता है जिसमें 37 डी० जमीन कम है।

(7) सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलर्थी के विकेता संजू देवी एवं उनके पिता को संयुक्त परिवार के समर्पित में एक तिहाई की धोषणा की गई है। संजू देवी या अशोक शर्मा के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा जमीन की विकी नही किया गया है।

(8) अशोक शर्मा द्वारा दिनांक 09.09.2014 को अपनी पुत्री संजु देवी के पक्ष में 1.88 डी० जमीन का निबंधित वख्शीसनामा लिख दिये जिसपर संजू देवी दखल कब्जा में चली आ रही है।

(9) अंचल अधिकारी, करपी द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन किये बिना उतरवादी (रामलडडू शर्मा) के प्रभाव में आकर अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, करपी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–470R27/18–19 में दिनांक 28.12.2018 में पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उतरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) संजू देवी अपने पिता अशोक शर्मा से दिनांक 09.09.2014 को निबंधित बख्शीसनामा के आधार पर अपीलार्थी संजय कुमार को 02 कटटा भूमि निबंधित विक्रय पत्र निष्पादित किया जबकि 09.09.2014 के पूर्व अशोक शर्मा एवं संजू देवी बॉटवारा वाद संख्या–249/2013 दायर किये जिसमें प्रतिवादी पक्षकार उतरवादी रामलडडू शर्मा एवं अन्य थे। वाद विचारण रहने के दौरान ही बिना बॉटवारा में अशोक शर्मा ने अपनी पुत्री को 09.09.2014 को निबंधित बख्शीश किया तथा बॉटवारा वाद गुण–दोष के आधार पर दिनांक 08.10.2018 को माननीय अवर न्यायाधीश प्रथम (वरीय कोटी) अरवल के द्वारा खारीज कर दिया गया है।

(2) संजू देवी एवं इनके पिता अशोक शर्मा दिनांक 09.09.2014 के बंख्शीशनामा के पश्चात् हल्का कर्मचारी को मेल में लेकर उतरवादी रामलडडू शर्मा को मृत धोषित कर दाखिल खारिज कराये। रामलडडू शर्मा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के न्यायालय में दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या–16/2014–2015 लाये जिसमें अंचल अधिकारी करपी के आदेश को रदद कर दिया गया तथा जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार हल्का कर्मचारी के विरूद्व प्रपत्र 'क' गठन कर निलंबित किया गया।

(3) जिला पदाधिकारी, अरवल के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–16/2014–2015 के विरूद्व दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–09/2015–2016 अशोक शर्मा वनाम् संजू देवी दाखिल किये है।

(4) विकेता संजू देवी एवं उनके पिता अशोक शर्मा का बॉटवारा वाद ही सक्षम न्यायालय से खारिज हो चुका है जिसे अपीलार्थी के दाखिल खारिज हेतु दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर अंचल अधिकारी, करपी द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया जो किसी भी दृष्टिकोण से विखंडित करने योग्य नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध उतरवादी

के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने दाखिल खारिज वाद संख्या–470R27/18–19 में दिनांक 28.12.2020 को अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा पारित आदेश के खिलाफ यह अपील दायर किया है। विवादित भूमि अपीलार्थी को श्रीमती संजू देवी, पति–श्री रंजीत रंजन से निबंधित वसीका संख्या–2395 दिनांक 04.06.2015 द्वारा प्राप्त है। उतरवादी संख्या–02 संजू देवी को अपने पिता अशोक शर्मा से निबंधित बख्शीशनामा से प्राप्त है। जमाबंदी धारक श्री रामलडडू शर्मा के दो पुत्र अशोक शर्मा एवं राम सुमिरन शर्मा है। रामलडडू शर्मा के कुल भूमि का तख्ताबंदी नही किया गया है। रामलडडू शर्मा द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के तहत वाद संख्या–127/13–14 रामलडडू शर्मा वनाम् अशोक शर्मा एवं अन्य चला था जिसमें तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल द्वारा सर्व जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण को तख्ताबंदी करने का आदेश किया गया था लेकिन सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त, अरवल द्वारा भूमि का तख्ताबंदी नही किया गया है। पुनः रामलडडू शर्मा तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के समक्ष दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या–16/14–15 दायर किया गया जिसमें तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल ने दिनांक 28.04.2015/08.05.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, करपी को दाखिल खारिज वाद संख्या–815/14–15 में दिनांक 13.11.2014 के पारित आदेश को खारिज किया गया है। पुनः तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के दाखिल खारिज अपीलवाद के विरूद्व उतरवादीगण द्वारा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल के न्यायालय में दाखिल खारीज पुनरीक्षण वाद संख्या–09/डी० एम०/2016 दाखिल किया गया जो अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है एवं तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल के दाखिल अपीलवाद में दिनांक 08.05.2015 के पारित आदेश को बहाल रखा गया है।

रामलडडू शर्मा एवं उनके पुत्र अशोक शर्मा वगैरह के बीच पूर्व में ही बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वाद संख्या–127/13–14 चला था जिसमें तख्तावंदी करने का आदेश किया गया जो कि प्रश्नगत् खेसरों के किस पक्षकार को कितनी भूमि प्राप्त है और बिना इसके निर्धारण में यह निर्धारित नही किया जा सकता है कि कौन हिस्सेदार किघर से जमीन बेचेगा जबकि दाखिल खारिज करने में दखल कब्जा देखा जाता है। जब विक्रेता का हिस्सा किस भाग में है यह भी निर्धारित नही है तो फिर केता का दखल कब्जा भी स्पष्ट नही हो पायेगा। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा पारित आदेश सही है। अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

26/04/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

26/04/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।